राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ)पाली

क्रमांकः–भू.अ/प.प्र/17/156 दिनांक 23/11/2017

आदेश

राजस्थान भू.राजस्व (भू.अभिलेख) नियम 1957 के नियम 4 के अन्तर्गत पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2015 में चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियो को निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/भू.अ./परीक्षा/प–279/2017/11047–79 दिनांक 21.11.17 के क्रम में दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप मे पटवारी के पद पर नियुक्ति दी जाती हैः–

क्रम सं	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता/पति का नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	शैक्षणिक योग्यता
1	172702	प्रकाश चन्द कुमावत	बाबुलाल कुमावत	GENM	26.01.1995	बी.टैक
2	137048	सुजा राम	मांगी लाल	GENM	13-06-1992	हायर सैकेन्डरी
3	110920	रमेश कुमार	चेना राम	OBCM	02.07.1996	बी.ए
4	127755	प्रशान्त नोगिया	ओम प्रकाश नोगिया	SCM	20.02.1992	हायर सैकेन्डरी
5	206516	गोवर्धन लाल	रूपाराम	OBCM EX	19.10.1975	बी.ए

1. यह नियुक्ति राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रिकार्डस) रूल्स, 1957 के नियम–4 एवं तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशो/परिपत्रो/के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होंगे।
2. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियो को निर्देश दिये जाते है कि आप नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रधानाध्यापक अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नम्बर 02 सोजत रोड़ में दिनांक 25.11.2017 तक उपस्थित होकर मूल दस्तावेजो की जांच करवाना सुनिश्चित करे। पटवार प्रशिक्षण दिनांक 27.11.2017 से आरम्भ होगा। दिनांक 27.11.2017 उक्त पटवारियो की कार्यग्रहण की दिनांक होगी।
3. पटवारी के पद पर अन्तिम रूप से चयनित इन अभ्यर्थियो का पदस्थापन एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्र सिह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के साथ सलंग्न अन्य याचिकाओं, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओमप्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11711/2017 मनीष विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य,एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8263/2017 रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13151/2017 पूरन कंवर बनाम राजस्थान राज्य,, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8110/2017 शंकरलाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य के अध्याधीन रहेगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विभिन्न याचिकाओं में दिये गये आदेशो की पालना में गैर अधिसूचित क्षेत्र के 12 व अनुसूचित क्षेत्र के 2 अभ्यार्थियो का पदस्थापन किया गया है। पटवारी के पद पर अंतिम रूप से चयनित इन अभ्यर्थियो का पदस्थापन माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 18032/2017, एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 16106/2017, एस.बी सिविल रिट याचिका संख्य 17676/2017, एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 18049/2017, एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 13009/2017, एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 13089/2017, एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 13008/2017, एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 13090/2017, एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 13011/2017, एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 13007/2017, एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 18326/2017 के अध्याधीन रहेगा।
4. परिविक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरो पर संदत्त किया जाएगा एवं अन्य शर्ते राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमो के अन्तर्गत संदत्त होगी।
5. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी पाली को निर्देश दिये जाते है कि उक्त अभ्यर्थियो के स्वास्थ्य की जांच कर प्रमाण पत्र उसी दिन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

Scanned by CamScanner

पटवारियो के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 9 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा। सत्र की सम्पूर्ण अवधि मे उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।.

7. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा मे उत्तीर्ण होने व दो वर्ष की परिवीक्षाकाल संतोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा मे उत्तीर्ण नही होता है तो उसकी सेवाऐ नियमित नही की जायेगी।

8. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे परिक्षणार्थियो को इस आशय का अनुबन्ध (बॉन्ड) हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं अर्पण करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।

9. उपरोक्त अभ्यार्थियो को दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान नही होने व विवाह मे दहेज नही लेने एवं गुटखा का सेवन नही करने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप मे तैयार कर मूल दस्तावेज के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगां।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर(भू.अ)
पाली

दिनांक 23 / 11 / 2017

क्रमांकः–भू.अ / प.प्र / 17 / 7679-88
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. निदेशक, राजस्व अनुसन्धान एव प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
3. जिला पुलिस अधीक्षक .... चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु।
4. मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी पाली ।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, पाली को भेज कर लेख है कि नियुक्ति आदेश की प्रति इस जिले की वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. प्रधानाध्यापक, अस्थायी पटवार प्रशिक्षण शाला, राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय नम्बर 02 सोजत रोड़ जिला पाली को भेजकर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियो को वर्तमान मे चल रहे पटवार प्रशिक्षण मे सम्मिलित किया जाना है। वर्तमान में पाठ्यक्रम से ही प्रारम्भ किया जाना है। इससे पूर्व शेष पाठ्यक्रम को प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त पूरा करवाया जाना है।
7. श्री .... निवासी ....
8. निजी पत्रावली श्री ....
9. रक्षित पत्रावली।.

जिला कलेक्टर(भू.अ)
पाली

Scanned by CamScanner